

India Steel and Sugars Limited
Mundiampakkam, South Arcot District;

(b) if so, in what capacity;

(c) whether it is a fact that an incriminating document purported to have been written by him to Shri Sanjay Gandhi regarding investments in foreign banks/concerns was discovered; and

(d) if so, the results of the probe made, if any?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH):

(a) Yes, Sir. Shri M. A. Chidambaram has, however, resigned as Director and Chairman of M/s. Maruti Limited with effect from the 17th May, 1977.

(b) Shri M. A. Chidambaram is also the Chairman of M/s. South India Steel and Sugars Limited, Mundiampakkam, South Arcot District.

(c) No document purported to have been written by Shri Chidambaram to Shri Sanjay Gandhi regarding investments in foreign bank/concern was discovered during the search of the Maruti premises.

(d) Does not arise.

Conversion of Adhyamankottai to Hosur Major District Road into National Highway

5015. **SHRI V. PERIASAMY:** Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state whether Government propose to convert Adhyamankottai to Hosur major district road to a national highway in view of the heavy traffic on that road?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): No, Sir. We have not received any such proposal from the Govt. of Tamil Nadu nor does the Govt. of India have any such proposal under consideration.

पद पर रहते हुए मरने वाले मंत्रियों के आश्रितों को सहायता

5016. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री और उन मंत्रियों, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, के आश्रितों को रिहायसी आवास और वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आश्रितों के नाम क्या हैं जो सहायता प्राप्त कर रहे हैं और वे कितनी सहायता प्राप्त कर रहे हैं ;

(ग) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के आश्रित भी यह सहायता प्राप्त कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की सहायता प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ङ). सरकार ने ऐसे दस मामलों में पेंशन और रिहायशी आवास की स्वीकृति दी है। ये हैं :—

(1) स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की विधवा को 11-1-1966 से 15,000 रु० वार्षिक जीवन पर्यन्त पेंशन निम्नलिखित सुविधाओं के साथ स्वीकृत की गई।

(1) दिल्ली/नई दिल्ली में जनरल पूल में रिहायशी आवास का आवंटन जिसका किराया एफ आर 45-ए के अनुसार अथवा पेंशन का 10 प्रतिशत जोभी कम हो लिया जाना, तथा

(2) श्रीमती ललिता शास्त्री और उन के परिवार को केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा उपचार सुविधाएं दिया जाना।